

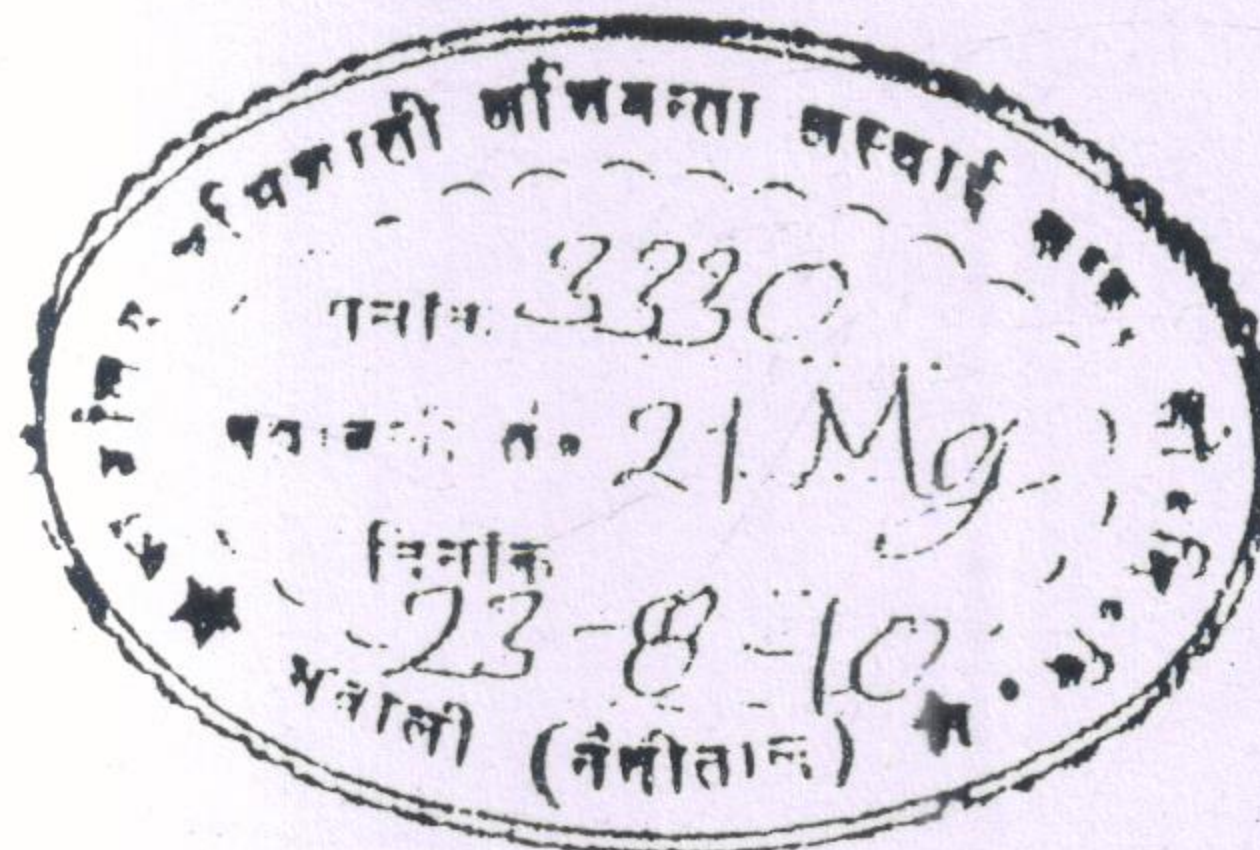
2

7

संख्या: 5/50 / 111(2) / 10-18(MIO3HIO) / 2010

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।



लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 16 अगस्त, 2010

विषय:- राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपयुक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र/कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मीर/अल्मोड़ा के द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये आगणना के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न विवरण में उल्लिखित 164 कार्यों के निर्माण पर अनुमोदन देते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यों यथा विस्तृत आगणना का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू-अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सल्टैन्सी आदि कार्यों के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रु0 2736.01 लाख (रु0 सात्ताईस करोड़ छत्तीस लाख एवं हजार मात्र) पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रति कार्य रु0 0.01 लाख अर्थात् कुल रु0 1.64 लाख (रु0 एक लाख चौसठ हजार मात्र) के व्यय किये जाने की सहमति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयावधि रूप से पूर्ण किया जायगा तदोपरान्त उक्त संदर्भित शासनादेश सं0:- 1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवधानानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का प्रारम्भ किया जायेगा।

आगणना में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर अनुमानित अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मार्ग है, स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो बचत राशि का विस्तृत आगणना तैयार करते समय किया जायेगा।

कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यमजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

आगणना में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 05-05-2005 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणना गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(Handwritten signature)

स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का संपूर्ण दायित्व संबंधित अधिकारी को होना होगा।

इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान लेखापीछक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कों परियोजना-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामों पर होगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 359/XXVII/(2)/2010 दिनांक: 16 अगस्त, प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

5/50 (1)/11/(2)/10-18(प्रो0आ0)/2010 तदुदिनांक।

निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग गाजरा देहरादून।
आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।

समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।

मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।

निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-2/वित्त, नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।

समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि. उत्तराखण्ड।

लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।

गार्ड बुक।

माधवासी

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या 3330 /21 एम.जी.

दिनांक 23 /8/2010.

प्रतिलिपि - समस्त सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो.नि.वि. भवानी से सूचनाएं भेजी।

प्रतिलिपि - लेखाधिकारी/वज्ज सहायक अस्थाई खण्ड लो.नि.वि. भवानी।

प्रतिलिपि - जनिष्ठ अभियन्ता (खण्ड) अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि. भवानी को अभिलेखाधिकारी

प्रतिलिपि - स्थानीय अभियन्ता

23/8/10

माधवासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.

भवानी (नैनीताल)

द्वारा प्रति प्रमाणित

23/8/10

सहायक अभियन्ता

अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.

भवानी (नैनीताल)

(4)

(9)

उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर-किच्छा के ताम रामेश्वरपुर-नारायणपुर मार्ग से रंजीत सिंह के खेत ब्राह्म लाल के खेत तक मार्ग का पुनः निर्माण	1.000	0.31	0.01
उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर-किच्छा के त किच्छा-रुद्रपुर मार्ग से पनचवकी फार्म से दलीप सिंह के खेत तक मार्ग का सुदृढीकरण	1.00	0.31	0.01
उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर-किच्छा के त दरत मार्ग से सैजना तक मार्ग का पुनः निर्माण	1.700	2.72	0.01
उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर-किच्छा के त किच्छा मार्ग से जुनेजा फार्म तक मार्ग का पुनः निर्माण	0.550	0.88	0.01
उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर-किच्छा के त किच्छा-सितारगंज मुख्य मार्ग से अलीनगर तक (सिरसा) मार्ग का नव निर्माण	1.00	1.60	0.01
उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर-किच्छा के त किच्छा नगर में लोक बिहार कालोनी में सी0सी0 मार्ग का	0.150	0.02	0.01
नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र धारी के अन्तर्गत पश्या र हाईस्कूल से पश्या गांव (ओखलकाण्डा) तक मोटर मार्ग	2.00	25.20	0.01
नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र धारी के अन्तर्गत काण्डा में गलनी से सिद्ध देव मंदिर तक मो0मा0 का	2.00	25.20	0.01
नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र धारी के अन्तर्गत काण्डा में कटना से चारी तक मो0मा0 का निर्माण (लीलाधर)	4.00	50.40	0.01
नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र धारी के अन्तर्गत विकासखण्ड के ग्राम टपुवा बबियाड से सुनपतला तक मोटर मार्ग का	2.00	25.20	0.01
नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र धारी के अन्तर्गत विकासखण्ड काण्डा में पश्या इंटर कालेज तक मोटर मार्ग का	1.00	0.31	0.01
नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र धारी के अन्तर्गत ई0सी0 बानना से राजकीय चिकित्सालय बानना तक लिंक	2.00	25.20	0.01
नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र धारी के अन्तर्गत अना से	3.00	0.93	0.01
नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र धारी के अन्तर्गत गरलेख की परतोला (भीमताल) मार्ग का जीर्णोद्धार	3.00	10.35	0.01
उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र जरापुर में ग्राम पुर से मंडुआखेडा होते हुए गैस गोदाम तक मोटर मार्ग का	3.30	5.28	0.01
उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र जरापुर में बहादुरपुर से	1.00	1.60	0.01
उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र जरापुर में ग्राम भवंतपुर	0.70	0.22	0.01
उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र जरापुर में कासमपुर से	1.00	1.60	0.01
उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र जरापुर में पतरामपुर	0.75	0.11	0.01
उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र जरापुर में रायपुर रोड स	2.00	2.17	0.01

द्वारा प्रति स्थापित

सहायक अभियन्ता
वरिष्ठ सखंड, लो० नि० वि०
धरमजी (नैनीताल)

उधमसिंहनगर